महिला कैदियों को पुनवास योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व का अध्ययन

शाधकता, नन्द किशार सिंह, (शाधाथी) कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

शाध निदशक, डा. अवध किशार त्रिवदी, पाध्यापक कलिंगा, विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

सार

100 महिला कैदियों को न्यादर्श के रूप में लेकर उनके पुर्नवास योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व का अध्ययन कार्य किया गया जिसमें स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण कर साक्षात्कार लेकर डाटा का संग्रहण किया गया जिसमें निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि उनको जेलों में विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की गई जिससे वे आत्मनिर्भर होकर अपनी आजीविका का साधन जुटा सके और आत्मनिर्भर बन सके।

1 प्रस्तावना :–

''मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा हैं।''

– विवेकानंद के अनुसार

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया हैं, जिसके द्वारा बालकों के या व्यक्तियों के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जाता हैं। शिक्षा के द्वारा बालक अपने निकट के लोगों के सम्पर्क में आने पर उसमें अनेक बातें सीखता हैं। समाज के गुण–दोषों का बालक व व्यक्तियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।समाज बालक के आचार–विचार, रहन–सहन तथा व्यवहार को प्रभावित करता है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगिण विकास में सहायक होती है। व्यक्ति और समाज दोनों को ही प्रभावित करती हैं।

शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो व्यक्ति को जीवन पर्यनत अपने माता–पिता, भाई–बहन, मित्र, शिक्षकों,पड़ोसी और समाज के अन्य लोगों से प्राप्त होती है। यह शिक्षा विद्यालय की चार दीवारी के अन्य लोगों से प्राप्त होती है।यह शिक्षा विद्यालय की चार दीवारी तक सीमित न रहकर परिवार, विद्यालय, दुकान, दफ्तर, खेल के मैदान, पार्क, सिनेमा हॉल आदि सब जगह होती रहती है और जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। वास्तव में सम्पूर्ण जीवन ही शिक्षा काल होता है। व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास करने में सफल होता है। शिक्षा की प्रक्रिया ही समाज का विकास करती हैं।

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया हैं, जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों और गुण प्रकट होते हैं।

– फ्रोबेल के अनुसार

जिज्ञासु मानव की शक्ति असीमित है,जैसे ही उसके सामने कोई समस्या आती है तो उनकी समस्त शारीरिक एवं मानसिक शक्तियां उसके समाधान के लिए एकाग्र हो जाती है। व्यक्ति जब अपराध जगत की ओर अग्रसर हो जाता है तो उसे अपराधी की संज्ञा दिया जाता हैं। अपराधी व्यक्ति वह होते हैं, जो बार–बार उन कार्यों को करता है, जो अपराधों के रूप में दण्डनीय है जिसकी कोई आयु निर्धारित नहीं है। व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण से समायोजन न कर पाने के कारण भी अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। बालक व व्यक्तियों को प्रारंभ से ही ऐसा वातावरण में रखा जाना चाहिए जिसमें वह नैतिक एवं मौलिक गुणों को विकसित कर सके तथा अपने सर्वांगिण गुणों का विकास कर सके।

अपराध करने के कारण निम्न हो सकते हैं–आनुवांशिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, पारिवारिक, विद्यालय संबंधी, संवाद–वाहन, सांस्कृतिक कारण शामिल है।जिनसे उनके मनोदषा का ज्ञान होता है।क्या अपराधी व्यक्तियों को सुधारा जा सकता है? जिसके लिए सुधार गृह जेल का निर्माण किया गया है। जेल में कैदियों को शिक्षा तथा व्यवसाय प्रशिक्षण भी दिया जाता है। शिक्षा वह माध्यम है जिससे बालकों या व्यक्तियों का मानसिक व शारीरिक विकास किया जाता हैं।

2. संबंधित शोध साहित्य का अध्ययन

राधा विष्ट (2010) ने ''बाल–अपराधी बालको में शिक्षा के महत्व का अध्ययन कर पाया कि बाल अपराधियो में शिक्षा प्रदान करने से उनके जीवन पर उचित प्रभाव पड़ता है।बाल अपराधियो को रोजगार के लिए लघु उद्योग की शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि उन्हे समाज में रोजगार प्राप्त हो सके।बालक अपराधी स्वयं मानते है कि उन्हे शिक्षा की आवश्यकता है।बाल अपराधियो को शासन द्वारा शिक्षा की व्यवस्था कर उन्हे शिक्षित कर समाज में समायोजन के लायक बनाया जाता है, ताकि समाज को सुधारने में अपना सम्पूर्ण योगदान दे सके।

अचकजई, जहाँगीर खानय बुखारी, शकीराय आजम ताहिर, मोहम्मद (2015) महिला कैदियों की शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंचः बलूचिस्तान की एक रिपोर्ट में बताया है कि, महिला कैदियों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा सुविधाओं के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके अलावा, यह देखा गया कि जेल से निकलने के बाद उन्हें सम्मानजनक कमाई के लिए कुशल बनाने के लिए उन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा था या नहीं। अध्ययन के परिणामों से पता चलता है कि

प्रांत की जेलों में महिला बंदियों के लिए शिक्षा की कोई सुविधा नहीं थी। यही हाल महिला बंदियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का भी था। शिक्षा विभाग और प्रांतीय सरकार के तकनीकी प्रशिक्षण बोर्ड ने अभी तक स्थिति को सुधारने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है। जेल अधिकारियों ने बताया कि स्थिति में सुधार में बाधाएं उनके नियंत्रण से बाहर थीं। वे मुख्य रूप से वित्तीय, उचित स्थान की कमी, शिक्षण स्टाफ और शिक्षण सुविधा की कमी और जेल में मानवीय स्थितियों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार उच्च अधिकारियों के कठोर व्यवहार थे। महिला कैदी एलिजाबेथ फ्राई की वापसी का इंतजार कर रही हैं ताकि जेल में उनकी स्थिति में सुधार हो सके।

जैन अमित कुमार, त्रिपाठी उपेंद्र नभ (2018) ने भारत में कैदी शिक्षाः हरियाणा के विशेष संदर्भ में इग्नू का एक केस स्टडी का अध्ययन कर यह ज्ञात किया, जेल प्रणाली से न केवल अपराधियों में सुधार करके, बल्कि आम जनता को कारावास से दंडनीय व्यवहार से हतोत्साहित करके अपराध दर को कम करने की उम्मीद की जाती है। जेल प्रणाली से उन लोगों के जीवन को अप्रिय बनाने की भी उम्मीद की जाती है, जिन्होंने अपने अपराधों से दूसरों के जीवन को अप्रिय बना दिया है। अंत में, समाज अपराध दर को कम करना चाहता है। हमारे देश में जेल व्यवस्था में अब काफी सुधार हुआ है। सामान्य तौर पर, कारावास के प्रभाव मानसिक शक्तियों के प्रगतिशील कमजोर होने और चरित्र के इस तरह से बिगड़ने की प्रकृति है जो कैदियों के जीवन को उपयोगी सामाजिक जीवन के लिए उपयुक्त बनाता है और परिणामस्वरूप वे फिर से दोषी होने के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। सुधारात्मक या पुनर्वासित जेल मॉडल के लिए समय, ऊर्जा और धन का हमारा भारी निवेश कैदियों के बीच पुनरावृत्ति को रोकने और नियंत्रित करने में प्रदर्शनकारी रूप से सफल रहा है। लेकिन पहले के समय में जेल की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। अब, भारतीय जेल में कैदियों की देखभाल बेहतर है और यहाँ तक कि हम प्राचीन समय की तुलना में बेहतर हैं। भारत में जेल सुधार के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और एक बड़ा कदम कैदियों के लिए शिक्षा की शुरुआत करना है। इसके लिए, शिक्षा प्रणाली और इसकी सभी सुविधाओं को जेल प्रणाली के साथ जोड़ दिया गया है ताकि कैदी शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपनी आजीविका के लिए खुद को उत्पादक कार्यों में संलग्न कर सकें और अंततः जेल से बाहर आने पर सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। शिक्षा के माध्यम से कैदी समाजवाद भी सीख सकते हैं और समाज में रहने वाले लोगों के साथ व्यवहार करना सीख सकते हैं। इस दृष्टिकोण ने मनुष्य के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण व्यक्त किया कि यदि उचित अवसर दिया जाए तो वे बेहतरी के लिए परिवर्तनशील हैं। लेकिन कई क्रिमिनोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री मानते हैं कि कैदी जिस तरह से जेल जीवन को अपनाते हैं, वह न केवल संस्था और समाज के लिए बल्कि कैदियों के भविष्य के लिए भी सरल है। इस प्रकार, शिक्षा के माध्यम से भारत में सुधार संभव हो सकता है और भारतीय जेल प्रणाली में जेलों और कैदियों के उचित प्रबंधन और देखभाल से भी संभव हो सकता है। इंदिरा

गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने वर्ष 2010 में देश भर में जेलों (सुधार गृह) में कैदियों को मुफ्त में शिक्षित करने की पहल की है। इसका उद्देश्य साक्षर और अर्ध–साक्षर दोनों कैदियों की सीखने की जरूरतों को पूरा करना है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र करनाल हरियाणा के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2011 से 2017 तक विभिन्न जेलों में नए प्रवेश (3435) और पुनरू पंजीकरण (696) के लिए कुल 4131 जेल कैदियों को नए 83.15% और 16.84% नए सिरे से पंजीकृत किया गया था, जिसमें नए प्रवेश के लिए पुरुष और महिला के लिए अनुपात 3388 (98.63%) और 47 (1.36%) था। अधिकतम ताजा नामांकन (693) 2015 में था जबकि न्यूनतम (280) 2012 में था। हालांकि, अधिकतम पुनरू पंजीकरण (161) 2017 में था और न्यूनतम (69) वर्ष 2012 में क्षेत्रीय केंद्र करनाल के तहत था।

जूडिथ ऐनी राइडर (2020) ने महिला कैदियों की शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना के शीर्षक पर शोध कार्य किया और उनका निष्कर्ष निम्न रहाँ महिला कैद की दर लगातार बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में दुनिया भर में 714,000 से अधिक महिलाओं को सलाखों के पीछे रखा जा रहा है। महिलाएं आमतौर पर कम शैक्षिक प्रोफाइल के साथ कैररल सुविधाओं में प्रवेश करती हैं, और अंदर शैक्षिक प्रोग्रामिंग शायद ही कभी उच्च प्राथमिकता होती है। शिक्षा तक पहुंच महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में एक सिद्ध योगदानकर्ता है और हिरासत से रिहा होने के बाद उनके सामने आने वाली कुछ बाधाओं को कम कर सकती है। कैद की गई महिला श्छात्रोंश की बौद्धिक क्षमता के लिए समर्थन, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवाओं और टिकाऊ बुनियादी ढांचे तक पहुंच में बाधा डालने वाली असमानताओं को दूर कर सकता है। लैंगिक समानता से संबंधित नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं को महिला कैदियों के लिए अकादमिक और व्यावसायिक कार्यक्रम के विकास पर ध्यान केंद्रित करके शुरू करना चाहिए, जो मजबूत सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से बनाया गया है, और आघात से सूचित समर्थन शामिल है।

3. उद्देश्य :–

किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उसका उद्देश्य पहले से निर्धारित कर लिया जाए। यह उद्देश्य प्रक्रिया को पूर्ण करने की दिशा में प्रेरणा प्रदान करता है। शोध के द्वारा ही किसी घटना के स्वरूप व कारणों के बारे में गहन जानकारी मिलती है। अतः प्रस्तुत लघुशोध अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

1. महिला कैदियों को पुर्नवास योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व का अध्ययन करना।

4. परिकल्पना :–

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निम्न परिकल्पनाऐं निर्मित की गई है :–

1. परिकल्पना – महिला कैदियों को पुर्नवास योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में व्यावसायिक शिक्षा का महत्व पाया जायेगा।

5. अध्ययन की परिसीमा :–

प्रस्तुत शोध समस्या के अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले का चयन किया जाएगा। रायपुर जिले के केंद्रीय जेल का चयन किया जाएगा। अध्ययन हेतु रायपुर जिले के केंद्रीय जेल के कुल 100 महिला कैदियों का चयन किया जाएगा।

6. न्यादर्श:–

प्रतिदर्श का चयन यादृच्छिक आधार पर सम्पन्न किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में अनुसंधानकर्ता ने रायपुर शहर के मध्य में स्थित केन्द्रीय जेल रायपुर को लिया गया है, जिसमें 100 महिला कैदियों का चयन किया गया है।

7. उपकरण :–

केंद्रीय जेल में पुर्नवास योजना के माध्यम से महिला कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा के महत्व का अध्ययन हेतु शोधकर्ता द्वारा स्वयं निर्मित उपकरण साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

8. परिकल्पना का प्रमाणिकरण –

महिला कैदियों को पुर्नवास योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में व्यावसायिक शिक्षा का महत्व पाया जायेगा।

परिकल्पना एच$_4$ – महिला कैदियों को पुर्नवास योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा का महत्व पाई जाएगी।

सरणी क्रमांक

महिला कैदियों को पुर्नवास योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा के महत्व से संबंधित विवरण

क.	कथन	हाँ की संख्या	हाँ का प्रतिशत	नहीं की संख्या	नहीं का प्रतिशत
1.	क्या आपको जेल में व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है?	98	98.00	2	2.00
2.	आपको जेल में किस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है?				
	• सिलाई का प्रशिक्षण	94	94.00	6	6.00
	• कम्प्यूटर का प्रशिक्षण	15	15.00	85	85.00
	• साज–सज्जा का प्रशिक्षण	47	47.00	53	53.00
	• दस्तकारी का प्रशिक्षण	45	45.00	65	65.00
	• अन्य	51	51.00	49	49.00
3.	क्या जेल में कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है?	100	100.00	0	0.00
4.	क्या व्यावसायिक शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है?	97	97.00	3	3.00
5.	क्या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा का महत्व है?	98	98.00	2	2.00

व्याख्या :–

परिकल्पना क्रमांक एच$_1$ – महिला कैदियों को पुनर्वास योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा की भूमिका पाई जायेगी के लिए 100 महिला कैदियों जो केन्द्रीय जेल रायपुर में सजा काट रही हैं या विचाराधीन हैं से उनके परिवार की आत्मनिर्भरता एवं प्रशिक्षण एवं शिक्षा संबंधी जागरूकता जानने के लिए कुल 5 बुनियादी प्रश्नों हेतु साक्षात्कार किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है :–

प्रश्न क्रमांक 1 क्या आपको जेल में व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है ?

उपप्रश्न क्रमांक 1 के अनुसार 98 प्रतिशत महिला कैदियों ने कहा कि उन्हें जेल में व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है तथा 2 प्रतिशत ने नहीं कहा क्योंकि वे अत्यंत बीमारी की हालात में थीं। अतः यह कहा जा सकता है कि जेलों में महिला कैदियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था है।

आरेख क्रमांक 1

महिला कैदियों को जेल में व्यावसायिक शिक्षा दर्शाने वाला आरेख

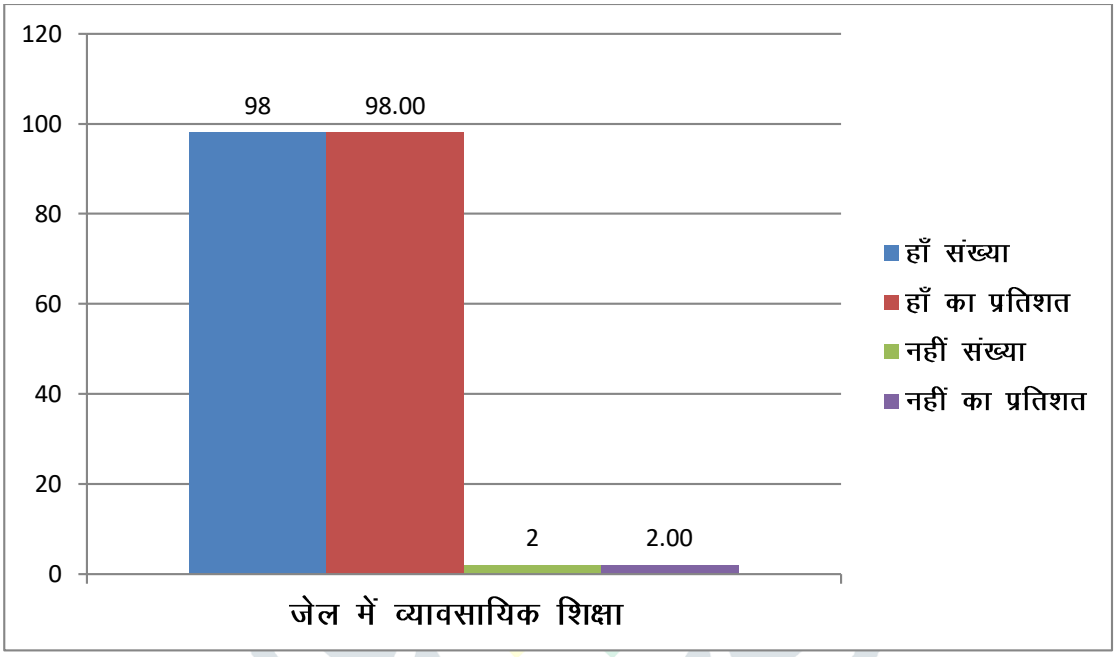

प्रश्न क्रमांक 2 आपको जेल में किस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है?

प्रश्न क्रमांक 2 के अनुसार 94 प्रतिशत महिला कैदियों ने सिलाई का प्रशिक्षण हेतु उत्तर हाँ में दिया है एवं 6 प्रतिशत महिला कैदियों ने उत्तर में नहीं दिया है, कम्प्यूटर का प्रशिक्षण हेतु 15 प्रतिशत महिला कैदियों ने हाँ में उत्तर दिया तथा 85 प्रतिशत महिला कैदियों ने नही में उत्तर दिया। साज–सज्जा का प्रशिक्षण हेतु 47 प्रतिशत महिला कैदियों ने उत्तर में हाँ दिया है एंव 53 प्रतिशत महिला कैदियों ने नहीं में उत्तर दिया है, दस्तकारी का प्रशिक्षण हेतु 45 प्रतिशत महिला कैदियों ने हाँ में उत्तर दिया है तथा 65 प्रतिशत महिला कैदियों ने नहीं में उत्तर दिया, अन्य प्रशिक्षण हेतु 51 प्रतिशत महिला कैदियों ने हाँ में उत्तर दिया तथा 49 प्रतिशत महिला कैदियों ने नहीं में उत्तर दिया।

आरेख क्रमांक 2

महिला कैदियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा के प्रकार दर्शाने वाला आरेख

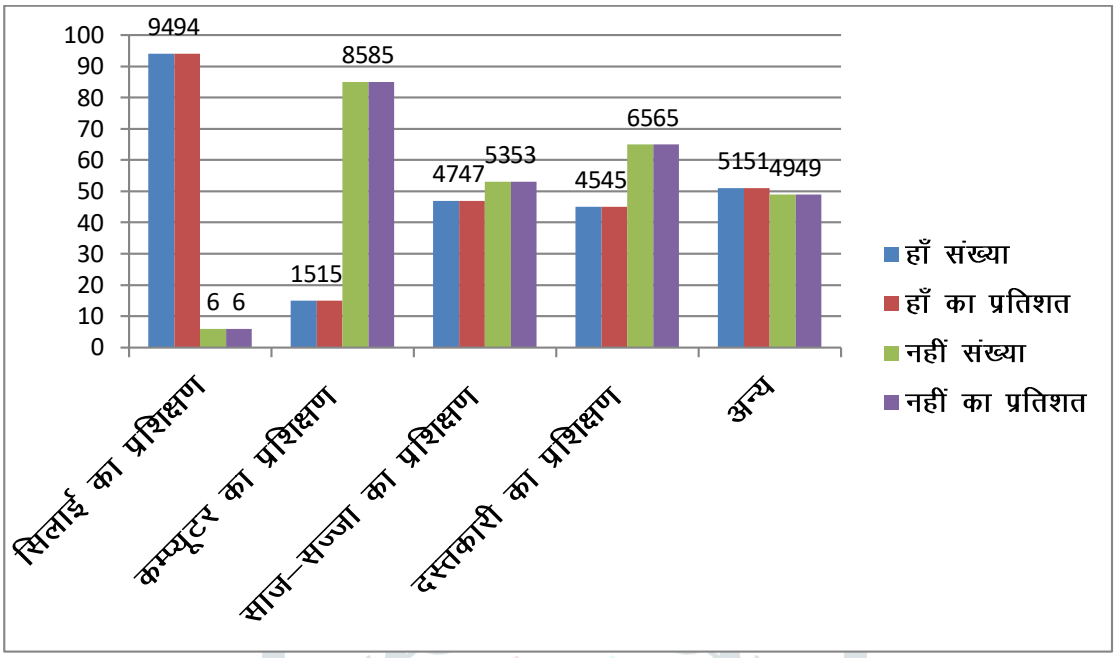

प्रश्न क्रमांक 3 क्या जेल में कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ?

उपप्रश्न क्रमांक 3 के अनुसार जेल में कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जवाब में 100 महिला कैदियों ने हाँ में उत्तर दिया जिनका शतप्रतिशत रहा है।

आरेख क्रमांक 3

महिला कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहन दर्शाने वाला आरेख

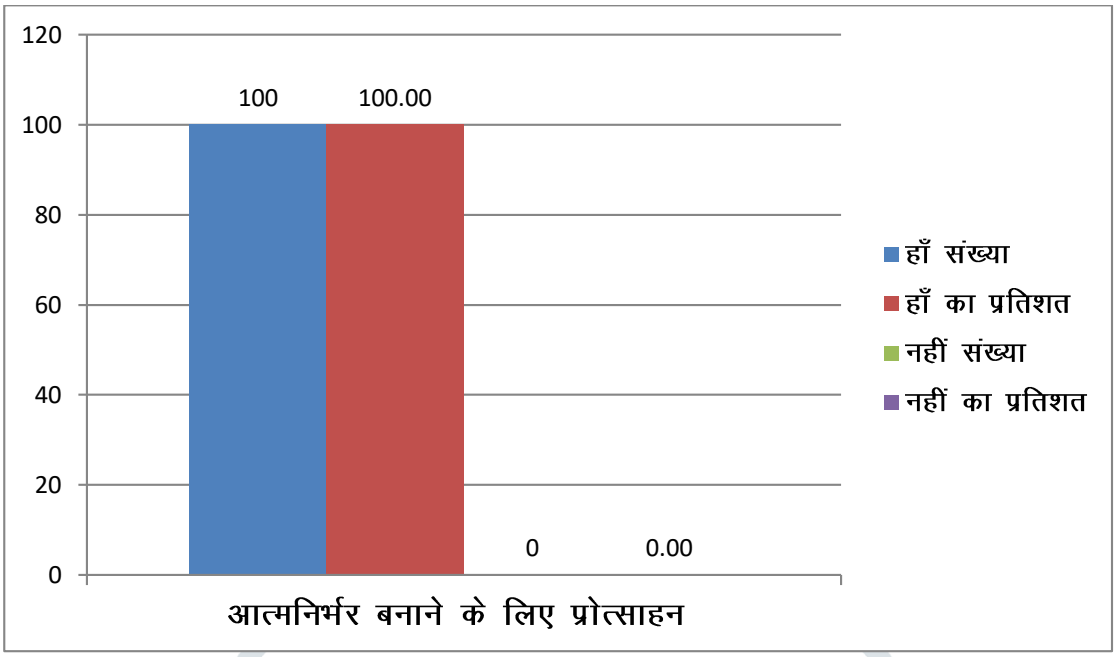

प्रश्न क्रमांक 4 क्या व्यावसायिक शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है?

प्रश्न क्रमांक 4 के अनुसार 97 प्रतिशत महिला कैदियों ने व्यावसायिक शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है जवाब में हाँ में उत्तर दिया एंव व्यावसायिक शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है जवाब में 3 प्रतिशत महिला कैदियों ने नहीं में उत्तर दिया है।

आरेख क्रमांक 4

व्यावसायिक शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को दर्शाने वाला आरेख

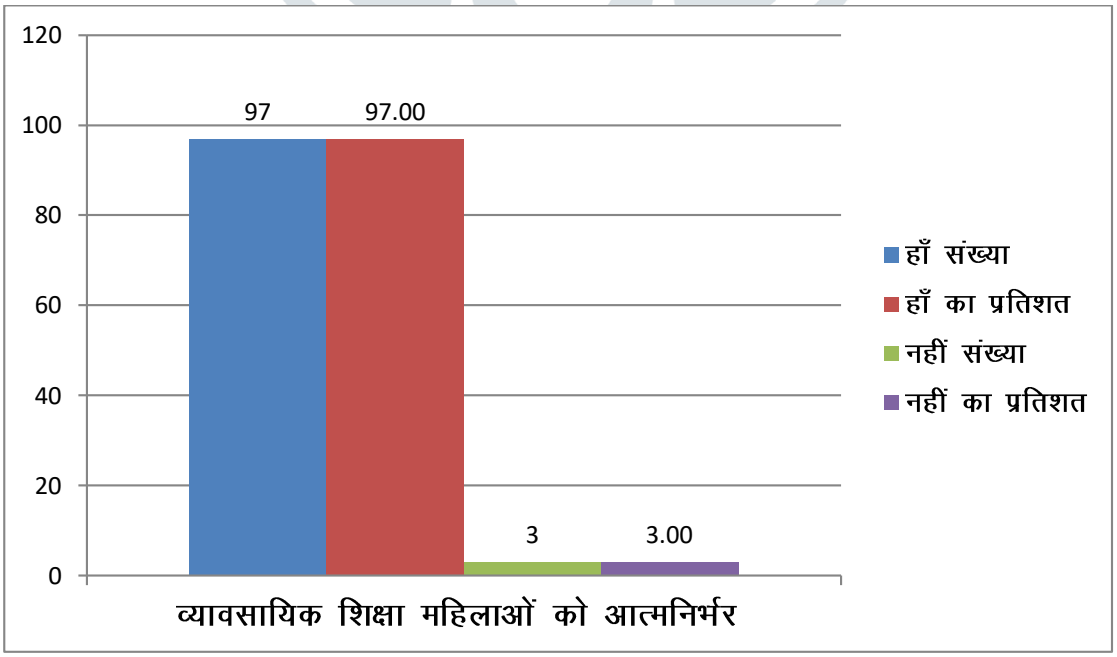

प्रश्न क्रमांक 5 क्या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा का महत्व है ?

उपप्रश्न क्रमांक 5 के अनुसार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा का महत्व है जवाब में 98 प्रतिशत महिला कैदियों ने हाँ में उत्तर दिया, एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा का महत्व है के जवाब में 2 प्रतिशत महिला कैदियों ने नहीं में उत्तर दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका है।

आरेख क्रमांक 5

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा का महत्व दर्शाने वाला आरेख

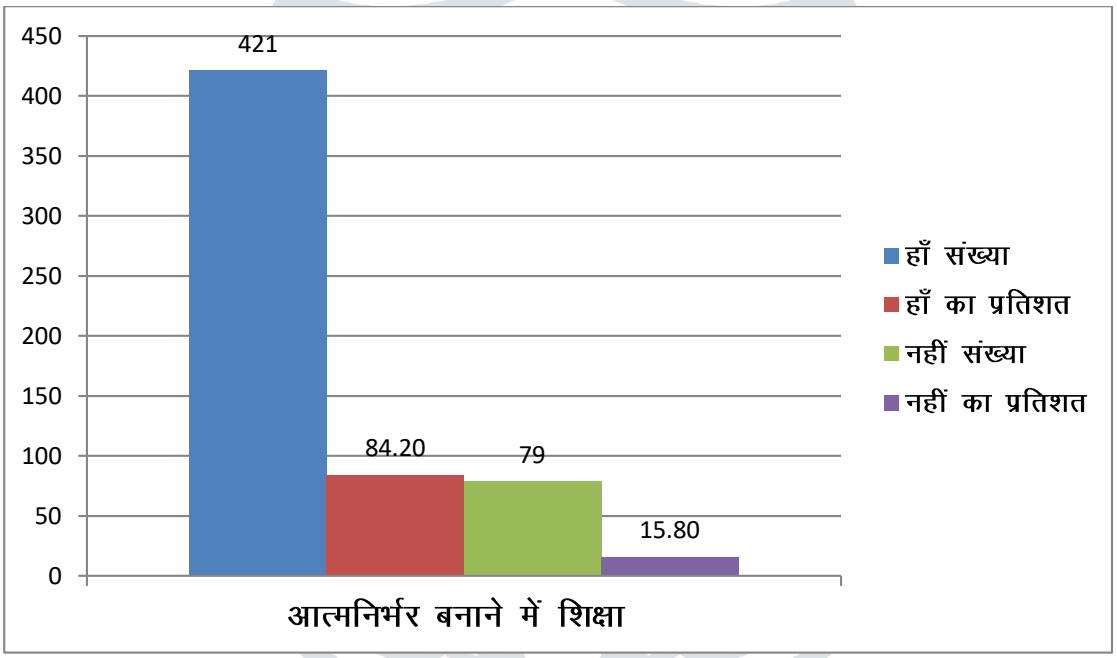

अतः परिकल्पना एच$_4$– महिला कैदियों को पुर्नवास योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा का महत्व पाई जाएगी। **परिकल्पना स्वीकृत होती है।**

अतः परिकल्पना महिला कैदियों को पुर्नवास योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में व्यावसायिक शिक्षा का महत्व पाया जायेगा। परिकल्पना स्वीकृत होती है।

9. सुझाव :–

- कैदियों में शिक्षा के माध्यम से सहयोग, सद्भावना, सेवाभाव, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, आदि गुणों का विकास कर सकते है।
- जेल के कैदियों के शिक्षक को विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाए।

- कैदियों के लिए नवीन संसाधनों की व्यवस्था की जावे।
- कैदियों के शिक्षण एवं शिक्षक का समय–समय पर मूल्यांकन किया जाए।
- कैदियों द्वारा बनाए गए वस्तुओं को समय–समय पर जनता के समक्ष मेले के रूप में प्रदर्शित किया जाए ताकि उनके कार्यों को अधिक प्रोत्साहित किया जा सके।
- जिन कैदियों को शिक्षा के प्रति कम रूचि है, उन्हें शिक्षा के महत्व को बताया जाए।
- जेल में ग्रन्थालय की अच्छी व्यवस्था की जाए।
- समय–समय पर मेहमान व्याख्याता की व्यवस्था किया जाए।

10. अनुकरणीय अध्ययन :–

प्रस्तुत लघुशोध अध्ययन से संबंधित अन्य पहलुओं के अध्ययन के लिए निम्नलिखित क्षेत्र प्राप्त किए जा सकते है :–

1. महिला कैदियों की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन।
2. जेल गृह में निवासरत महिला कैदियों का समायोजन एवं असमायोजन पर एक अध्ययन।
3. जेल में निवासरत महिला कैदियों के शैक्षिक उपलब्धियों का अध्ययन।
4. महिला कैदियों की सामाजिक व शैक्षिक उपलब्धि के मध्य संबंध का अध्ययन।
5. जेल गृहों में अपराधियों के शैक्षिक वातावरण संबंधी समायोजन एवं असमायोजन पर एक अध्ययन।
6. जेल में महिला अपराधी के मानसिक स्तर पर एक अध्ययन।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- ए.वी. भटनागर (2009) *''अधिगमकर्त्ता का विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया''*, मेरठ : आर. लाल बुक डिपो
- चतुर्वेदी, मुरलीधर (2016) *''भारतीय दण्ड संहिता''*, लखनऊ : इस्टर्न बुक कम्पनी

- महाजन, संजीत (2008) *अपराध शास्त्र एवं दण्ड शासन,* नई दिल्ली : आर्य बुक डिपो
- माधुर एस. एस. (2001) शिक्षा *मनोविज्ञान'',* आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर
- पाण्डेय, रामशकल (2007) *उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक,* इलाहाबाद वि0वि0 आगरा : विनोद पुस्तक मन्दिर,
- पाठक एवं त्यागी (2009) शिक्षा *के सामान्य सिद्धांत'',* आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर
- सरीन एवं सरीन (2012) *''शैक्षिक अनुसंधान विधियां'',* आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर
- पारसनाथ राय (2014) *''अनुसंधान का परिचय'',* आगरा : लक्ष्मी नारायण अग्रवाल
- कपील, एच. के. (2016) *''अनुसंधान विधियाँ'',* आगरा : हरप्रसाद भार्गव पुस्तक प्रकाशन,

.....000.....